बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्र संख्या–पी0पी0एम0–37/2017– 3958 /कृ0, पटना, दिनांक–10-10-,2017

प्रेषक,

सुधीर कुमार ,
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रुप से परामर्शित। द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)**

विषय : **केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन योजना अंतर्गत वर्ष 2017–18 में सभी 49 सांसद आदर्श ग्राम में मृदा परीक्षण परियोजना के स्थापना हेतु कुल 183.75 लाख (एक करोड़ तेरासी लाख पचहत्तर हजार) रुपये (केन्द्रांश–110.25 लाख एवं राज्यांश–73.50 लाख रूपये) की योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश – स्वीकृत।

केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन योजना अंतर्गत वर्ष 2017–18 में सभी 49 सांसद आदर्श ग्राम में मृदा परीक्षण परियोजना के स्थापना हेतु कुल 183.75 लाख (एक करोड़ तेरासी लाख पचहत्तर हजार) रुपये (केन्द्रांश–110.25 लाख एवं राज्यांश–73.50 लाख रूपये) की योजना कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा योजना अंतर्गत राशि की विमुक्ति नहीं की गयी है। राशि विमुक्ति के उपरांत समानुपातिक राज्यांश सहित आवंटनादेश निर्गत किया जा सकेगा।

3. योजना का कार्यान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–F.No. 14-1/2016-fert use दिनांक 18.08.2017 में दिये गये दिशा–निर्देश के आलोक में किया जायेगा। जिसमें 40 लोकसभा सांसद और 9 राज्य सभा सांसद द्वारा कुल 49 सांसद आदर्श ग्राम योजना के चयनित गाँव के योग्य लाभुको को योजना का लाभ दिया जायगा। प्रति ईकाई कुल परियोजना लागत रु 5.00 लाख (पाँच लाख) है। जिसमें 75% का अनुदान देय है और 25% लाभुक का अंशदान होगा। अनुदान की राशि का भुगतान 60% केन्द्रांश एवं 40% राज्यांश से किया जायगा।

4. इस योजना के लाभुक का चयन जिला स्तरिय कार्यकारणी समिति द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना के चयनित गाँव के 18 से 27 वर्ष उम्र समूह के लाभुकों में किया जायगा और परियोजना की स्वीकृति भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जायगा। परियोजना की स्वीकृति के पश्चात् लाभुक द्वारा यंत्र एवं उपस्कर का क्रय स्वयं किया जायगा। लाभुक द्वारा क्रय किये गए सामग्री के भौतिक सत्यापन के उपरांत भारत सरकार द्वारा अनुदान का 60% केन्द्रांश मद की राशि PFMS के माध्यम से राज्य सरकार को उपलब्ध कराई जायगी।

E:\ABHINAV\2017-18\CSTL mini lab\CSTL minilab 17-18.docx

5. PFMS द्वारा भारत सरकार से राज्य सरकार को राशि उपलब्ध कराए जाने के उपरांत राज्य सरकार द्वारा आवंटन आदेश निर्गत किया जायेगा। जिसके पश्चात् कोषागार से अनुदान की राशि निकासी कर लाभुक के खाते में यथा शीघ्र इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर द्वारा भुगतान किया जायगा। इस योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लाभुकों को उपलब्ध स्वीकृति वित्तीय सीमा के अतिरिक्त सामान्य श्रेणी के लिए उपलब्ध राशि से भी भुगतान किया जा सकता है।

6. स्वीकृत राशि की निकासी संयुक्त निदेशक (रसायन) मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, बिहार, पटना द्वारा विकास भवन, सचिवालय कोषागार से की जा सकेगी।

7. वर्ष 2017–18 के लिए बजट शीर्ष एवं उपबंधित निम्न प्रकार है, (राशि लाख रू० में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
केन्द्रांश		
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म,उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 105–खाद तथा उर्वरक, मांग संख्या–1, उप शीर्ष–0207 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन विपत्र कोड–01–2401001050207, विषयशीर्ष–0207.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन, पी०एफ०एम०एस०कोड 9142	2038.95	91.5075
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म,उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या–1, उप शीर्ष 0238–राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन विपत्र कोड– 01–2401007890238, विषयशीर्ष–0238.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन, पी०एफ०एम०एस० कोड 9142	393.05	17.6400
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म,उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग संख्या–1, उप शीर्ष 0258–राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन विपत्र कोड–01–2401007960258, विषय शीर्ष–0258.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन, पी०एफ०एम०एस० कोड 9142	24.57	1.1025
कुल	**2456.57**	**110.2500**
राज्यांश		
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म,उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–105–खाद तथा उर्वरक, मांग संख्या–1, उप शीर्ष–0307–राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन विपत्र कोड–01–2401001050307, विषय शीर्ष–0307.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन, पी०एफ०एम०एस० कोड 9142	1359.31	61.005
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म,उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग संख्या–1, उप शीर्ष–0338–राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन विपत्र कोड– 01–2401007890338, विषय शीर्ष–0338.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन, पी०एफ०एम०एस० कोड 9142	262.03	11.760
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म,उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, मांग संख्या–1, उप शीर्ष–0358–राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन विपत्र कोड–01–2401007960358, विषय शीर्ष 0358. 31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन, पी०एफ०एम०एस० कोड 9142	16.37	0.735
कुल	**1637.71**	**73.500**
सकल योग	**4094.28**	**183.750**

8. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में प्रधान सचिव, कृषि का अनुमोदन प्राप्त है।

E:\ABHINAV\2017-18\CSTL mini lab\CSTL minilab 17-18.docx

9. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–पी0पी0एम0–37/2017 के पृ०सं0–4/टि० पर दिनांक– 09.10.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

10.10.2017

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– पी0पी0एम0–37/2017 3958 /कृ0, पटना, दिनांक– 10-10-2017

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.10.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– पी0पी0एम0–37/2017 3958 /कृ0, पटना, दिनांक– 10-10-2017

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.10.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– पी0पी0एम0–37/2017 3958 /कृ0, पटना, दिनांक– 10-10-2017

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, सचिवालय कोषागार, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.10.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– पी0पी0एम0–37/2017 3958 /कृ0, पटना, दिनांक– 10-10-2017

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक पी०पी०एम०, कृषि विभाग, पटना/संयुक्त निदेशक शष्य, (योजना), बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, रसायन, मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, बिहार, पटना/उप निदेशक,रसायन मिट्टी जाँच प्रयोगशाला, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, (शष्य), सहरसा प्रमण्डल, सहरसा/उप निदेशक (शष्य), प्रक्षेत्र, आरा/पूर्णियाँ/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक (रसायन), मिट्टी जांच प्रयोगशाला/ बजट एवं योजना शाखा, सचिवालय एवं कृषि निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं उप कृषि निदेशक(सूचना), बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10.10.2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

E:\ABHINAV\2017-18\CSTL mini lab\CSTL minilab 17-18.docx